कृषि विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

कृषि विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत विभिन्न न्यायिक वादों में सरकार की ओर से ससमय प्रतिउत्तर समर्पित करने के लिए विभाग की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं का एक अस्थाई पैनल बनाने का निर्णय लिया गया है। अतः इच्छुक एवं योग्य अधिवक्ता जो उक्त कार्य में रूचि रखते हों, वे अपना विस्तृत बायोडाटा (अनुभव, मोबाईल नं0 सहित) के साथ आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

2. उक्त पैनल हेतु प्राप्त आवेदनों के समीक्षोपरांत पैनल का निर्धारण हेतु विभाग स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा आवेदकों का साक्षात्कार एवं तथ्य विवरणी तैयार किये जाने एवं उनके कार्य अनुभव की समीक्षा करते हुए पैनल निर्धारण हेतु अनुशंसित किया जाएगा।

3. पैनल में सूचीबद्ध महानुभावों को विभाग की प्रशाखा वार तथ्य विवरणी तैयार करने का कार्य सौंपा जाएगा।

4. पैनल में सूचीबद्ध महानुभावों से सम्बद्ध प्रशाखा से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यक कागजात प्राप्त कर अपराह्न 4:00–6:00 बजे विभाग में उपस्थित रहकर तथ्य विवरणी तैयार करना अपेक्षित होगा।

5. कतिपय मामलों में विभाग द्वारा तथ्य विवरणी बनाने हेतु व्यक्ति विशेष को कार्य सौंपा जा सकता है तथा अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होने पर शीघ्र तथ्य विवरणी बनाये जाने की अपेक्षा की जा सकेगी।

6. पैनल की वैधता अगला पैनल तैयार होने तक अथवा इसे आवश्यकतानुसार विस्तारित अवधि तक की होगी। पैनल के किसी भी महानुभाव का कार्य संतोषप्रद नहीं रहने की स्थिति में बिना कारण बताये सूची से अपलेखित करने अथवा पूरी सूची भंग करने की पूर्ण शक्ति प्रशासी विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

7. सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु पारिश्रमिक का भुगतान वित्त विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–3882 दिनांक–03.05.2023 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

8. तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु विभाग के स्तर पर तैयार किये जाने वाले पैनल में अधिवक्ताओं की संख्या निर्धारित करने का अधिकार कृषि विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।

9. इस हेतु प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इच्छुक अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

आवेदन Offline स्वीकार किया जाऐंगे। Offline आवेदन **अवर सचिव, प्रशाखा–05, एनेक्सी भवन, कृषि भवन परिसर, कृषि विभाग, मीठापुर, पटना में उक्त पत्ते पर सीधे आवेदन समर्पित किया जा सकता है।** आवेदक अपना आवेदन कृषि विभाग के Email**- agridep-bih@nic.in** पर भी भेज सकते हैं।

10. अधिवक्ताओं से प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 15 कार्य दिवस के भीतर आवेदन विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने की अपेक्षा की जाती है।

11. विभाग को किसी भी आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा। पैनल से संबंधित सभी निर्णय कृषि विभाग द्वारा लिये जाएंगे जो अंतिम होंगे।

विभागीय आवश्यकतानुसार शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है।

12. विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र वेबसाईट state.bihar.gov.in/krishi पर देखा जा सकता है।

अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

कृषि विभाग, बिहार, पटना से संबंधित वादों में सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए अधिवक्ताओं का अस्थाई पैनल बनाने हेतु आवेदन प्रपत्र।

---

1. आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में) :–

   (i) हिन्दी में :–

   (ii) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) :–

   पिता का नाम :–

   स्थायी पता :–

   पत्राचार का पता :–

5. जन्म तिथि :–

6. शैक्षणिक योग्यता :–

   निबंधन संख्या एवं तिथि :–

   AOR संख्या :–

   अनुभव/विशिष्ट अनुभव/वाद का विषय :–

10. सेवा मामले से संबंधित विगत 10 वाद का विवरणी जिसमें आवेदक द्वारा अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। :–

11. मोबाईल नम्बर :–

स्थान :– पटना

दिनांक :–

आवेदक का हस्ताक्षर